न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 89 / 2021

1 सत्यनारायण पुत्र गिरधारी।
2 सुभाष अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण।
3 पुरूषोतम अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण।
4 दीपचन्द अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण समस्त जाति महाजन निवासीगण गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 वरूण अग्रवाल पुत्र मनोज अग्रवाल उम्र नाबालिग।
6 टीना अग्रवाल पुत्री मनोज अग्रवाल उम्र नाबालिग समस्त 5 व 6 नाबालिग जरिये संरक्षक दादा सत्यनारायण जाति महाजन निवासी गुडा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 करूणा पुत्री सत्यनारायण पत्नी पवन कनोडिया जाति महाजन निवासी हाल 185 अशोक नगर रोड़ नम्बर 10 उदयपुर जिला उदयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 सुशील अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण।
2 अनिल अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण समस्त जाति महाजन निवासी गुडा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.10.2021 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा
सुशील अग्रवाल आदि बनाम सत्यनारायण आदि
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न.155/2020

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिंगोदिया, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2020 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक दावा व उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें ग्राम खोह की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1154/761, 1245/774, 1515/774, 745, 746, 748, 749, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766 व 767 कुल किता 17 कुल रकबा 4.2600 हैक्टर भूमि आवेदकगण (रेस्पोडेंटस 1 व 2) व अनावेदकगण 1 लगा. 6 (अपीलांटस 1 लगा. 6) की पैतृक भूमि होना बताकर सजरा अंकित कर उक्त भूमि में आवेदकगण ने अपना 1/7 हिस्सा होना दर्शाते हुए हिस्से की मांग की है। जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा दर्ज कर तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में बाद सुनवाई अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश रेस्पोडेंट 1 व 2 के हक में पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलांट द्वारा धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस 1 लगा. 6 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त ख. नम्बरान के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी थी, कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पैतृक भूमि नहीं है, बल्कि उक्त भूमि तो अपीलांट नं. 1 के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदी गयी है और इस बाबत राजस्व रिकार्ड में भी अंकन है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने खसरा नम्बर 1157/761, 1245/774, 1515/774 की भूमि के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की, कि उक्त भूमि तो अपीलांट नंबर 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गयी है। वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि अपीलांट नं. 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसमें अन्य किसी का कोई सिर–सांझा या पैतृक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेंट 1 व 2 दावा व इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना के माध्यम से नाजायज रूप से अपीलांट नं. 1 व अन्य अपीलांट संख्या 1 लगायत 7 पर नाजायज दबाव बनाकर संपति को हड़प करना चाहते है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.10.2021 निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलांट नं. 5 व 6 अपीलांट नंबर 1 के मृतक पुत्र मनोज अग्रवाल की नाबालिग संताने है। मनोज के देहांत के बाद उसकी बेवा का भी देहांत हो चुका है। इस प्रकार से दोनो संतानो के नैसर्गिक संरक्षक न होने के कारण जरिये सरंक्षक दादा अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा अपीलांट नं. 7 के रूप में करूणा पुत्री सत्यनारायण पुत्री संतान होने के नाते उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सुशील अग्रवाल व अनिल अग्रवाल द्वारा ग्राम खोह पटवार हल्का मनकसास की भूमि खसरा नम्बर 745, 746, 748, 749, 758 से 767, 1154/761, 1245/774, 1515/774 को पैतृक बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि पैतृक होना साबित हो। इसके विपरित विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 20.10.2001, 07.03.1970, 06.11.1965 क्रय करना एवं विवादित भूमि स्वअर्जित होना प्रमाणित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना, प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर